बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 27/DoH/SS/66/2026 – प०प०एम०-113-/कृ०, पटना, दिनांक-28.10 ,2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 एवं 2028–29 कुल तीन वर्षों के लिए राज्य स्कीम मद से दीघा मालदाह की योजना हेतु कुल 446.98 लाख (चार करोड़ छियालीस लाख अट्ठानवे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 251.33 लाख (दो करोड़ एकावन लाख तैंतीस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 एवं 2028–29 कुल तीन वर्षों के लिए राज्य स्कीम मद से दीघा मालदाह की योजना हेतु कुल 446.98 लाख (चार करोड़ छियालीस लाख अट्ठानवे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 251.33 लाख (दो करोड़ एकावन लाख तैंतीस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का सूत्रण दीघा क्षेत्र के 'दूधिया मालदाह' आम की विरासत के संरक्षण सहित क्षेत्र–विस्तार, मूल्य संवद्धन एवं विपणन तंत्र को सुदृढ करने हेतु किया गया है।
3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के पटना जिलें के पारंपरिक क्षेत्र सहित कृषि–जलवायु अनुकूल क्षेत्रों में किया जायेगा।
4. इस योजना अन्तर्गत निम्न घटकों को शामिल किया गया है :–
   i) **उच्च घनत्व वाले आम** – इस घटक अंतर्गत उच्च घनत्व वाले आम के बागों की स्थापना 5mx5m की दूरी के अनुसार प्रति हे० 400 पौधे हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत निर्धारित है। Public Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा एवं Private Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) रूपयें प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000.00 रूपये दो किस्तों (60:40) में दिया जाएगा। अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम 48,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर दीघा मालदाह पौध रोपण के पश्चात् प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त प्रथम वित्तीय वर्ष (2026–27) में अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम 32,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रथम वित्तीय वर्ष में लगाये गये बाग के रख–रखाव हेतु 75 प्रतिशत उत्तरजीविता के उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2027–28 में दिया जाएगा।

ii) **ड्रिप लगाना**– इस घटक अंतर्गत PDMC की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.39378 लाख (उनचालीस हजार तीन सौ अठहत्तर) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत (5mx5m) की दूरी के अनुसार सिर्फ Public Sector के लिए निर्धारित है। उपरोक्त इकाई लागत 0.39378 लाख (उनचालीस हजार तीन सौ अठहत्तर) रूपये प्रति हेक्टेयर पर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

iii) **बोरवेल (Dia= 150mm and Depth= 70.00 mtr.)**– इस घटक अंतर्गत 1.76331 लाख (एक लाख छिहत्तर हजार तीन सौ एकतीस) रूपये प्रति इकाई लागत सिर्फ Public Sector के लिए निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

iv) **बाड़ लगाना**– इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 300.00 रूपये (तीन सौ) रूपये प्रति running metre इकाई लागत निर्धारित है। Public Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 300.00 रूपये (तीन सौ) रूपये प्रति running metre पर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा एवं Private Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 300.00 रूपये (तीन सौ) रूपये प्रति running metre पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् अधिकतम 150.00 रूपये (एक सौ पचास) रूपये दिया जाएगा तथा निजी क्षेत्र के लाभुक को अधिकतम 1000 running metre के लिए अनुदान देय होगा।

v) **बागवानी का यांत्रिकरण (Horticulture Mechanization) – बागवानी यांत्रिकरण घटक की अवयववार विवरणी निम्नवत् है** :–

(क) Powered sprayer (Capacity- 6HP & above)– इस घटक अंतर्गत दिनांक 21.05.2026 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए नये/पूर्व से शामिल कतिपय कृषि यंत्रों के अनुदान दर की समीक्षा हेतु गठित यूनिट कॉस्ट समिति की बैठक की कार्यवाही के सदृश्य 15,000.00 रूपये (पन्द्रह हजार) प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित है। Public Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 15,000.00 रूपये (पन्द्रह हजार) रूपये प्रति यूनिट पर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा एवं Private Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 15,000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये प्रति यूनिट पर 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 6,000.00 (छः हजार) रूपये प्रति यूनिट दिया जाएगा।

(ख) Light Trap Set– इस घटक अंतर्गत दिनांक 26.05.2025 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वित प्रत्यक्षण कार्यक्रमों के प्रत्यक्षण मॉडल के दर/इकाई लागत निर्धारण हेतु आयोजित यूनिट कॉस्ट की बैठक की कार्यवाही के सदृश्य 2500.00 रूपये (दो हजार पाँच सौ) रूपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित है। Public Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 2500.00 रूपये (दो हजार पाँच सौ) रूपये प्रति यूनिट पर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा एवं Private Sector के लिए उपरोक्त इकाई लागत 2500.00 रूपये (दो हजार पाँच सौ) रूपये प्रति यूनिट पर 40 प्रतिशत अनुदान अर्थात् अधिकतम 1000.00 (एक हजार) रूपयें प्रति यूनिट दिया जाएगा।

(ग) Import of New machines & tools for horticulture for demonstration purpose– इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित है। Public Sector हेतु उपरोक्त इकाई लागत 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये प्रति यूनिट पर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस अवयव अंतर्गत क्षत्रक प्रबंधन हेतु विकसित Tractor-चालित यंत्र का क्रय किया जाएगा ताकि पुराने दीघा के दूधिया मालदाह आमों का जिर्णोद्धार किया जा सके। इसका उपयोग अन्य बागों के जिर्णोद्धार में भी किया जा सकेगा।

vi) **मानव संसाधन विकास** :– मानव संसाधन घटक का अवयववार विवरणी निम्नवत् है :–
(क) राज्य के बाहर प्रशिक्षण– इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 7,000.00 (सात हजार) रूपये (Project based per person 1000/day x 7 day) प्रति व्यक्ति इकाई लागत

निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान कुल दो वर्षों में दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित आम की CoEs जैसे बस्ती, कोलास, तलाला आदि में प्रशिक्षण कराया जाना है।

vii) **एकीकृत फसल कटाई उपरांत प्रबंधन– एकीकृत फसल कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु निम्न घटक सिर्फ Public Sector के लिए निर्धारित है :–**

(क) Pre-cooling unit (Public)–इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपये प्रति MT इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

(ख) Primary/ Minimal Processing Unit– इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 35.00 लाख (पैतीस लाख) रूपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

(ग) **Poly House**– इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1000.00 प्रति Sqmt इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

viii) **Marketing Infrastructure**– इस घटक अंतर्गत MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

ix) **Social Media for promotion of Digha Maldah**– इस घटक अंतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 236 दिनांक 22.11.2024 के सदृश्य 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रतिवर्ष का विज्ञापन Social Media के माध्यम से निर्गत किया जाएगा, जिसपर शत् प्रतिशत राशि कुल तीन वर्षों में दिया जाएगा।

5. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर किया जायेगा।

6. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन ''बिहार कृषि ऐप'' के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन सामान्य वर्ग के लिए उपबंधित राशि से किया जायेगा।

8. इस योजना का वित्तीय वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है, जिसके आलोक में योजना का कार्यान्वयन जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना के द्वारा किया जायेगा।

9. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–2 के अनुसार संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC- 25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

10. इस योजनान्तर्गत कुल 23440 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

11. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

12. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

14. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे। निदेशक उद्यान समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वंय समीक्षा करेंगें।

15. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्य योजना मद		
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	10916.400	251.33
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	2112.00	0.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	171.600	0.00
कुल योग	**13200.00**	**251.33**

16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–22.09.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–973 दिनांक–12.08.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–07.10.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या 27/DoH/SS/66/2026 के पृ0सं0–40/टि० पर दिनांक–14.10.2026 को प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–27/DoH/SS/66/2026 के पृष्ठ संख्या–39/टि० दिनांक–14.10.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–714 दिनांक–14.10.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/SS/66/2026 – पी०पी०एम० - 113- /कृ०, पटना, दिनांक 28 / 10 /2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/SS/66/2026 – पी०पी०एम० - 113- /कृ०, पटना, दिनांक 28 / 10 /2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/SS/66/2026 – पी०पी०एम० - 113- /कृ०, पटना, दिनांक 28 / 10 /2026

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/SS/66/2026 – पी०पी०एम० - 113- /कृ०, पटना, दिनांक 28 / 10 /2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजेट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/SS/66/2026 – पी०पी०एम० - 113-/कृ०, पटना, दिनांक 28 / 10 /2026

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

28/10

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2028–29 के लिए राज्य स्कीम मद से दीघा मालदह हेतु घटकवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य विवरणी।

(Physical in ha./nos. & Financial in Lakh Rs.)

Sl. No.	Name of the Components	Max. Permissible Unit Cost (in lakh Rs.)	GoI Pattern of Assistance (in lakh Rs.)	Physical Target	Financial Target	Physical Target	Financial Target	Physical Target	Financial Target	Total Physical Target	Total Financial Target (General Category)
				2026-27		2027-28		2028-29			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**High density planting**										
i	**Mango (Without Integration)**										
	Public	Rs. 2.00 lakh/ha.	100%	5	10.00	0	0.00	0	0.00	5	10.00
	Private	Rs. 2.00 lakh/ha.	40% (60:40)	45	21.60	45	21.60	0	0.00	90	43.20
	1st Year Maintenance	Rs. 2.00 lakh/ha.	40% (60:40)	0	0.00	45	14.40	45	14.40	90	28.80
2	**Installation of Drip**										0.00
	Public	As per PDMC norms (0.39378/ ha)	100%	5	1.97	0	0.00	0	0.00	5	1.97
3	**Borewell**										0.00
	Public (Dia= 150mm and Depth= 70.00 mtr.)	Rs. 1.76331 lakh	100%	1	1.76	0	0.00	0	0.00	1	1.76
	Sub Total			**56**	**35.33**	**90**	**36.00**	**45**	**14.40**	**191**	**85.73**
4	**Fencing (This component will be considered only in integration with other components of MIDH Scheme)**										
	Public	Rs. 300 per running metre	100%	4000	12.00	0	0.00	0	0.00	4000	12.00
	Private	Rs. 300 per running metre	Assistance @ 50% subject to a maximum of 1000 running metres per beneficiary. The component should consist of 4 running lines with iron poles having distance of 10 feet between the poles.	16000	24.00	16000	24.00	0	0.00	32000	48.00
	Sub Total			**20000**	**36.00**	**16000**	**24.00**	**0**	**0.00**	**36000**	**60.00**

(अभिषेक कुमार)

Sl. No.	Name of the Components	Max. Permissible Unit Cost (in lakh Rs.)	GoI Pattern of Assistance (in lakh Rs.)	Physical Target	Financial Target	Physical Target	Financial Target	Physical Target	Financial Target	Total Physical Target	Total Financial Target (General Category)
				2026-27		2027-28		2028-29			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**Horticulture Mechanization**										
i	**Powered sprayer (6HP & above)**										
	Public	0.15/ unit	100%	5	0.75	0	0.00	0	0.00	5	0.75
	Private	0.15/ unit	40%	25	1.50	25	1.50		0.00	50	3.00
ii	**Light Trap Set**										
	Public	0.025/ unit	100%	250	6.25	250	6.25		0.00	500	12.50
	Private	0.025/ unit	40%	2250	22.50	2250	22.50		0.00	4500	45.00
iii	**Import of new machines & tools for horticulture for demonstration purpose**										
	Tractor Mounted tree Pruner (Public Sector)	Upto a maximum of Rs. 60.00 lakh per unit	100%	1	60.00	1	60.00		0.00	2	120.00
	Sub Total			**2531**	**91.00**	**2526**	**90.25**	**0**	**0.00**	**5057**	**181.25**
6	**Human Resources Development (HRD)**										
ii	**Outside State**	Project based	100%	100	7.00	100	7.00		0.00	200	14.00
	Sub Total			**100**	**7.00**	**100**	**7.00**	**0**	**0.00**	**200**	**14.00**
7	**Integrated Post Harvest Management**										
i	Pre-cooling unit (Public)	Upto a maximum cost of Rs. 5 Lakh/MT	100%	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00
ii	Primary/ Minimal Processing Unit (This component will be considered only integrated with other components of MIDH scheme)	Rs. 35.00 lakh/Unit	100%	1	35.00	0	0.00	0	0.00	1	35.00

(अभिषेक कुमार)

Sl. No.	Name of the Components	Max. Permissible Unit Cost (in lakh Rs.)	GoI Pattern of Assistance (in lakh Rs.)	Physical Target	Financial Target	Physical Target	Financial Target	Physical Target	Financial Target	Total Physical Target	Total Financial Target (General Category)
				2026-27		2027-28		2028-29			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
iii	**Polyhouse**										
	Natural Ventilated tubular/ rectangular structure	Rs. 1000 per Sq.mt	100%	2000	20.00	0	0.00	0	0.00	2000	20.00
	Sub Total			**2002**	**60.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**2002**	**60.00**
8	**Marketing Infrastructure**										
i	Retail Markets / outlets (environmentally controlled)	Rs. 20.00 lakh/unit	100%	1	20.00	1	20.00	0	0.00	2	40.00
	Sub Total			**1**	**20.00**	**1**	**20.00**	**0**	**0.00**	**2**	**40.00**
9	**Social Media for Promotion of Digha Maldah**	Rs. 2.00 lakh	100%	1	2.00	1	2.00	1	2.00	3	6.00
	Sub Total			**1**	**2.00**	**1**	**2.00**	**1**	**2.00**	**3**	**6.00**
	Grand Total			**24691**	**251.33**	**18718**	**179.25**	**46**	**16.40**	**43455**	**446.98**

***Note:- Pattern of Assistance is in accordance with MIDH Guidelines and as per PDMC norms**

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची :– 02

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य स्कीम मद से दीघा मालदह हेतु जिलावार तथा श्रेणिवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी।

(वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना।	251.33	0.00	0.00	251.33
	कुल	**251.33**	**0.00**	**0.00**	**251.33**

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

(अभिषेक कुमार)